



पत्रांक -576 / लेखा / निविदा / 2025-26

दिनांक-23.06.2025

निवेदा हेतु नियम एवं शर्तें

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय एवं 30 शाखाओं के वर्ष 2025-26 हेतु (माह अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) तक समवर्ती ऑडिट (concurrent audit) त्रैमासिक आधार पर करने हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की निविदा पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि० पिथौरागढ़ के जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत हेतु आमंत्रित की जाती है। लिफाफे के ऊपर आंतरिक अंकेक्षण वर्ष 2025-26 हेतु निविदा जमा करने वाली फर्म का नाम पता एवं फोन/मो. नम्बर लिखा होना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा उनकी फर्म को निविदा में भाग लेने हेतु निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है।

- 1- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एसोसियेशन में रजिस्टर्ड होना।
- 2- फर्म में कम से कम 03 पूर्ण कालिक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होने चाहिए।
- 3- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा उनकी फर्म को उत्तराखण्ड राज्य में कम से कम 03 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में विगत 05 वर्षों में समवर्ती ऑडिट किये जाने का अनुभव हो।
- 4- फर्म सीओएजी० पैनल में शामिल हो।
- 5- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा उनकी फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा पंजीयक सहकारी संस्थाओं (उत्तराखण्ड) के द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट न किया गया हो।
- 6- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा उनकी फर्म का मुख्यालय/ऑफिस उत्तराखण्ड के अन्दर हो।
- 7- कम से कम 02 पार्टनर के पास CISA/DISA योग्यता प्रमाण-पत्र होना चाहिये।

अन्य बिन्दु :-

1- एक तिमाही समाप्त होने के तुरन्त बाद ऑडिट प्रारम्भ करना होगा। तथा आगामी माह के अन्त तक प्रथम तिमाही की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। समवर्ती ऑडिट का पारिक्षमिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात बिल के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

2- बैंक के समस्त दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखना होगा।

3- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त/स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

बैंक के मुख्यालय एवं शाखाओं के त्रैमासिक अंकेक्षण का मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे:-

1- **रोकड राशि (कैश) :-** इसके अंतर्गत शाखाओं में रखी गई नगद राशि एवं प्रतिभूतियों का सत्यापन, मुख्यालय द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत राशि रखा जाना, शाखा द्वारा रखी गई नगद राशि पर तथा काउंटर ट्राजिट पर पर्याप्त बीमा कवर, समय समय के अंतराल पर नगद राशि का भौतिक सत्यापन, नगद लेन देन की जांच, असामान्य लेन देन का ब्यौरा प्रस्तुत करना, नगदी का संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना एवं कैश से संबंधित लेखा पुस्तकों की जांच, किसी बड़े राशि के नगद भुगतान का ब्यौरा।

2- **अन्य बैंको में बैंक का जमा शेष :-** अन्य बैंको में जमा राशि का प्रत्येक माह पर मिलान, प्रति वर्ष बैंको से बेलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना, समाधान पत्र की जांच, समाधान पत्र की लंबित प्रविष्टियों की जांच, लंबी अवधि से लंबित अस्पष्ट/असमायोजित राशियों का विवरण, आकस्मिक नगद आहरण की जांच, अन्य बैंको के चालू खाते में शाखा द्वारा आवश्यकता से अधिक राशि रखा जाना एवं उसके कारणों की जांच, शाखा द्वारा स्वीकृत लिमिट से अधिक नगद राशि रखा जाना, ऐसे मद जिन पर प्रबंधन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो इत्यादि।

3- **विनियोजन :-** लेखा पुस्तकों में दर्ज प्रतिभूतियों का भौतिक सत्यापन, एवं प्रमाणीकरण आधिक्य राशि के निर्धारण की पद्धति, विनियोजन कमेटी का गठन एवं उसके निर्णय अनुसार बैंक विनियोजन, बैंक को लाभप्रद दरों पर प्रतिभूतियाँ खरीदी एवं बिक्री, परिपक्व एवं कालातीत विनियोजन जिनका भुगतान शेष हो विनियोजन का मूल्यांकन रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, विनियोजन पर नियमित रूप से ब्याज प्राप्ति किया जा रहा हो, बैंक द्वारा आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार एस.एल.आर., नॉन एस.एल.आर. एवं उनके भौतिक सत्यापन रख रखाव की जांच एवं प्रमाणीकरण करना एवं रिपोर्ट देना।

4-अमानत पर TDS कटौती की जांच करना होगा। बैंक द्वारा जिस पर TDS की कटौती होती है उस पर TDS काटा जा रहा है कि नहीं, और चालान समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं का जांच कर अपने रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। 15G एवं 15H फार्म की जांच करना होगा।

5- GST बिलों की जांच कर कटौती की राशि अपने टिप्पणी में उल्लेखित करना होगा, एवं TDS on GST की जांच कर मिलान करना होगा।

6- **ऋण एवं अग्रिम** :- सुनिश्चित करे कि ऋण, बैंक के ऋण नीति निर्देशों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही स्वीकृत किये गये हैं। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की स्वीकृति के बिना कोई ऋण तो नहीं दिया गया। सुनिश्चित किया जाये कि ऋण स्वीकृति के नियम एवं निर्देशों के पालन किये बिना कोई ऋण वितरण नहीं किया गया हो। क्या ऋण स्वीकृति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज बैंक के पक्ष में अधिकृत कर पंजीबद्ध किये गये हैं। ऋण वितरण पश्चात ऋणों का समय समय पर्यवेक्षण एवं सतत निरीक्षण जैसे स्टोक स्टेटमेंट की प्राप्ति, किश्तों, साख सीमा का नवीनीकरण किया जाना। जांच करें कि ऋण का गलत उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। अमानतों के विरुद्ध स्वीकृत ऋणों में क्या अमानतों पर ग्रहणाधिकार बैंक के पक्ष में प्राप्त किया गया है। क्या शाखा द्वारा जमानत के तौर पर बैंक के पक्ष में अधिकृत दस्तावेजों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। अनाधिकृत रूप से निर्धारित सीमा से अधिक आहरण की अनुमति दिया जाना, ऋणों पर अपर्याप्त बीमा कवरेज, बीमा का नवीनीकरण, ऋण खातों से संबंधित दस्तावेजों एवं लेखा पुस्तकों के रख रखाव की जांच।

7- **स्टेशनरी** :- इसके अंतर्गत शाखा द्वारा मियादी रसीदें, ड्राफ्ट बुक्स, पे आर्डर, चेक बुक्स, नगदी रसीद बुक, रसीदी टिकट इत्यादी सामग्री सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना व समय-समय पर निगरानी प्रणाली की जांच। स्टॉक पंजिका में उपलब्ध रसीदों, ड्राफ्ट बुक, पे आर्डर का भौतिक सत्यापन।

8- **विविध व्यय** :- बैंक द्वारा किए जा रहे स्टेशनरी, आकस्मिक व्यय, पोस्टेज, विद्युत व्यय की जांच करना होगा। प्रधान कार्यालय की अनुमति अनुसार न होने पर टिप्पणी देना होगा।

9- **आंतरिक नियंत्रण** :- क्या शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार लेखा पुस्तकों का रख रखाव किया जा रहा है। तातारीख प्रविष्टियां दर्ज किया जाना, खातों में शेष की जांच पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर, कैश स्काल, कैश बुक, जनरल लेजर, बुक बैलेंस का रख रखाव, बैंक कलेक्शन पंजिका, चेक वितरण पंजिका, ड्यू डेट पंजिका, अनक्लेम डिपॉजिट पंजिका, चाबी (Key) पंजिका एवं नाबार्ड द्वारा निर्धारित समस्त पंजिकाओं का रख रखाव, जनरल लेजर के अनुसार अन्य सहायक लेजर के बैलेंस का मिलान, मुख्यालय को निर्धारित समय में रिटर्न्स का प्रेषण इत्यादि।

10- **बिल्स पेयबल और सण्डी क्रेडिटर्स** :- बिल्स पेयबल, सण्डी क्रेडिटर्स, सस्पेंस, सिस्टम जनरेटेड खातों की जांच, असामान्य मद की राशि प्रवृत्ति का उल्लेख। डिमाण्ड ड्राफ्ट का भुगतान मिलान डी.डी. पेयबल खाते से करना इत्यादि की जांच एवं रिपोर्ट करना।

11- **अंतर शाखा खाता/मुख्यालय समायोजन खाता** :- शाखा द्वारा इस खाते का तातारीख रिकंसिलेसन पूर्ण करना, भुगतान हेतु शेष डिमांड ड्राफ्ट, पे आर्डर आदि का मिलान, प्रविष्टियों का अवधिवार वर्गीकरण कर मिलान, जांच में पाई गई असामान्य प्रविष्टियों की प्रवृत्ति एवं राशि की रिपोर्ट मुख्यालय को करना।

12- **अमानत एवं Kyc** :- इसके अंतर्गत लेन देन की जांच, अमानतों पर दी जाने वाली ब्याज दरें, अमानतों के ब्याज की गणना, शाखा द्वारा नये खातों खोलते समय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन, शाखा द्वारा "Kyc" मानदंडों का पालन एवं अमानतों से संबंधित दस्तावेजों, खातों, लेखा पुस्तिकाओं और संबंधित रिकार्डों की जांच। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (DEAF) के अंतर्गत भेजे जाने वाली राशि भेजी जा रही है अथवा नहीं की जांच करना, खातों की जांच करना एवं प्रमाणित करना।

13- **आय का अभिज्ञान, आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधान** :- आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधान नाबार्ड के मानदंडों के अनुरूप बैंक के शाखाओं द्वारा किया जा रहा है इसकी सूक्ष्मता से जांच, अतिदेय ऋणों की जांच, ऋण एवं अग्रिमों के वर्गीकरण की समीक्षा तथा हानियों के लिए प्रावधानों की पर्याप्तता एवं आस्तियों के वर्गीकरण पर अभिमत।

14- **लाभ-हानि खाता** :- इसके अंतर्गत शाखा द्वारा ऋण एवं अमानत खातों की ब्याज दरें, ब्याज गणना की जांच, कमीशन दरें, लॉकर्स किराया, बिल्स डिस्काउंट इत्यादि की जांच, लेखा पद्धति में बदलाव के कारण, लाभ पर प्रभाव। अन्य व्यय खातों की जांच उपरांत आय में कमी के कारणों को ज्ञात करना एवं आय के क्षरण को रोकने के उपाय। आय व्यय खाते में किसी भिन्न प्रकृति का बड़ा मद तो नहीं है।

15- **गबन/धोखाधड़ी** :- जांच करे यदि जांच में किसी प्रकार के गबन/धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आये तो शीघ्र सूचना मुख्य कार्यालय को देवे तत्पश्चात पूर्ण विवरण देवे।

16- **ऑडिट व निरीक्षण** :- क्या शाखा द्वारा उनके ऑडिट/निरीक्षण टिप्पणी की पिछली आपत्तियों का निराकरण किया है। यदि गंभीर आपत्तियां निराकृत हो गई हो तो जानकारी दे, क्या शाखा द्वारा अपैक्स बैंक/नाबार्ड निरीक्षण में पाई विसंगतियों को दूर किया गया है।

- 17-बैंक की समस्त आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन एवं सत्यापन।
- 18-परिचालन में लेखा प्रणाली और आंतरिक मूल्यांकन तथा पाई गई कमियों को रिपोर्ट करना।
- 19-लागू विधियों, विनियमों, मार्गदर्शक निर्देशों अनुबेशों के अनुपालन की समीक्षा एवं उल्लंघनों को रिपोर्ट करना।
- 20-बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन की पर्याप्तता (adequacy of Compliance) की समीक्षा।
- 21-वर्तमान में लागू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वित नियमानुसार शाखाओं द्वारा पालन एवं संचालन विधिवत् पालन हो रहा है, जांच/समीक्षा करना। एवं मुख्यालय स्तर पर भी बीमा प्रेषण एवं क्लेम की जाँच।
- 22-जांच के प्रत्येक बिन्दुओं को (1) गंभीर (Serious) त्रुटि (2) बड़ी (Major) त्रुटि (3) सामान्य (Normal/Minor) त्रुटि इन तीन भागों में प्रदर्शित करना।
- 23-भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं पंजीयक के नियम एवं निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच करना एवं उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करना।
- 24-सी0बी0एस0 के यू0पी0एस0/मॉडम, लेन, वायरिंग, ड्यूअल कनेक्टीविटी, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वी-सेट, सायरन, अग्निशमन यंत्र की जांच करे, सहीं न होने पर टिप्पणी देना होगा।
- उपरोक्त उल्लेखित विवरण संपूर्ण एवं विस्तृत नहीं है अपितु सतत अंकेक्षण में सहायक रूप में है। चयनित निविदाकर्ता फर्म/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उनके समकक्ष प्रतिनिधि को त्रैमासिक आधार पर स्वयं शाखाओं में उपस्थित होकर उक्त कार्यों के साथ बैंक में हो रहे समस्त कार्य व्यवहार एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों की जांच करना एवं आपत्तिजनक अथवा गलत पाये जाने पर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को लिखित में तुरन्त देना होगा। उपरोक्तानुसार त्रैमासिक अंकेक्षण (LFAR) अनिवार्यतः प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर आगामी माह की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा। वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण के पश्चात किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्रकाश में आती है तो उसके लिए संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा उसकी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी।
- 25- बैंक द्वारा शीर्ष बैंक/नाबार्ड/आर0बी0आई0/अन्य संस्थाओं को प्रेषित की जाने वाली सूचनाएँ जिनका प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक हो, का प्रमाणीकरण किया जाना। संबंधित प्रमाणीकरण का अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 26- बिना कारण बताये किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने तथा निविदा तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार बैंक द्वारा गठित कमेटी को होगा।
- 27-निविदा दिनांक 04.07.2025 को 3.00 बजे तक जमा कराई जाएगी। दिनांक 05.07.2025 को निविदा कमेटी द्वारा 1.00 बजे निविदा खोली जाएगी।

सचिव/महाप्रबन्धक